

पत्र सं०:-09/बजट-11-27/2025-228(9)ब'

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

शुद्धि-पत्र

राँची, दिनांक-04/08/2026

विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-116(9)ब दिनांक-11.02.2026 के द्वारा PROPOSED NEW OPD BLOCK AUGMENTED FROM THE EXISTING NEW PG BLOCKS at S.N.M. Medical College, Dhanbad की योजना हेतु कुल 24,94,55,347 /- (चौबीस करोड़ चौरानवे लाख पचपन हजार तीन सौ सैंतालीस) रुपये मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. उक्त स्वीकृत्यादेश की कंडिका-10 को निम्न रूपेण संशोधित किया जाता है:-

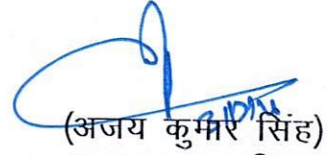
“इस योजना का कार्यान्वयन 12 माह के भीतर सम्पन्न कराया जाएगा, जिस क्रम में लागत में किसी प्रकार की बढ़ोतरी स्वीकार्य नहीं होगी।”

3. उक्त स्वीकृत्योदश में अतिरिक्त कंडिका 20 निम्नवत् सम्मिलित किया जाता है:-

“झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा कार्यादेश निर्गत होने के पूर्व निविदा की राशि, प्रक्रिया एवं शर्त आदि की संपूर्ण जानकारी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।”

4. उक्त स्वीकृत्यादेश की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी।

5. प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन एवं आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।


(अजय कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक:-09/बजट-11-27/2025/228(9)ब' राँची, दिनांक-04/08/2026

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/उपायुक्त, धनबाद/प्राचार्य/अधीक्षक, शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय, धनबाद/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची/संबंधित सिविल सर्जन/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/संबंधित प्रशाखा के प्रभारी पदाधिकारी/विभागीय पी०एम०यू० कोषांग/ योजना बजट प्रशाखा के कम्प्यूटर सहायक, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जाए।


(आनन्द कुमार सिन्हा)
अवर सचिव


(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव


(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव